

कार्य मंत्रणा समिति
(सत्रहवीं लोक सभा)

तीसरा प्रतिवेदन
(11.07.2019 को प्रस्तुत)

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुधवार, 10 जुलाई, 2019 को हुई।

2. समिति ने कार्य की निम्नलिखित मदों के लिए प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार समय का नियतन किए जाने की सिफारिश की है:—

(1) डीएनए प्रौद्योगिकी (प्रयोग और लागू होना) विनियमन विधेयक, 2019 (विचार तथा पारित करना)	3 घंटे
(2) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2019 (विचार तथा पारित करना)	2 घंटे
(3) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 (विचार तथा पारित करना)	2 घंटे
(4) मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 (विचार तथा पारित करना)	2 घंटे
(5) उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 (विचार तथा पारित करना)	3 घंटे
(6) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019 (विचार तथा पारित करना)	2 घंटे
(7) जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019 (विचार तथा पारित करना)	2घंटे
(8) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (विचार तथा पारित करना)	1 घंटा

नई दिल्ली;
10 जुलाई, 2019
19 आषाढ़, 1941 (शक)

ओम बिरला
सभापति,
कार्य मंत्रणा समिति।